

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 44.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक की दिनांक 10 अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-43 में संशोधन करते हुए कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44.1	दस्तावेजों का पंजीयन	संबंधित उप पंजीयक/वरिष्ठ उप पंजीयक.	24 घंटे (विधिक एवं तकनीकी अहर्ताओं की पूर्ति होने पर).	संबंधित जिला पंजीयक/वरिष्ठ जिला पंजीयक.	30 दिन	संबंधित उप महानिरीक्षक पंजीयन.
44.2	दस्तावेज की नकल प्रदाय करना (ई-पंजीकृत बेब पोर्टल के माध्यम से तथा संबंधित उप पंजीयक/वरिष्ठ उप पंजीयक.	www.mpigr.gov.in से तथा संबंधित उप पंजीयक/वरिष्ठ उप पंजीयक.	तत्काल आवेदन प्रस्तुतीकरण दिनांक पर ही (विधिक एवं तकनीकी अहर्ताओं की पूर्ति होने पर).	संबंधित जिला पंजीयक/वरिष्ठ जिला पंजीयक.	07 दिन	संबंधित उप महानिरीक्षक पंजीयन.
44.3	दस्तावेज की नकल प्रदाय करना (भौतिक रूपेण पंजीकृत दस्तावेज).	संबंधित उप पंजीयक/वरिष्ठ उप पंजीयक.	7 दिन (विधिक अहर्ताओं की पूर्ति होने पर).	संबंधित जिला पंजीयक/वरिष्ठ जिला पंजीयक.	30 दिन	संबंधित उप महानिरीक्षक पंजीयन.

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 05.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.12	म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29 के अंतर्गत अभिन्यास अनुमोदन.	जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	60 कार्य दिवस	आयुक्त राजस्व विभाग.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव म. प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.13	भूखण्डों का विलयन तथा विभाजन का अभिन्यास अनुमोदन.	जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	30 कार्य दिवस	अपर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.	30 कार्य दिवस	आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.
5.14	म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29(3) में संशोधन का अभिन्यास अनुमोदन.	जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	90 कार्य दिवस	अपर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.	30 कार्य दिवस	आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.
5.15	विकास अनुज्ञा के समय सीमा का विस्तार.	जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	30 कार्य दिवस	अपर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.	15 कार्य दिवस	आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.
	निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित क्षेत्रों में व्यपवर्तन प्रकरणों में अनापत्ति.	जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	अनुविभागीय अधिकारी से निर्धारित दस्तावेजों के साथ पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 30 कार्य दिवस.	अपर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.	15 कार्य दिवस	आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-सी.एस.जी. 11.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा गृह विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत गृह विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.7	मेला/प्रदर्शनी/खेल कार्यक्रम के लिये एनओसी.	जिला स्तर-पुलिस अधीक्षक अनुभागीय स्तर पर— पुलिस अनुभागीय अधिकारी.	07 कार्य दिवस 07 कार्य दिवस	उप-पुलिस महानिरीक्षक. उप-पुलिस महानिरीक्षक.	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	जोनल पुलिस महानिरीक्षक. जोनल पुलिस महानिरीक्षक.
11.8	सिनेमा की स्थापना के लिये एनओसी.	पुलिस अधीक्षक	15 कार्य दिवस	उप-पुलिस महानिरीक्षक.	15 कार्य दिवस	जोनल पुलिस महानिरीक्षक.